राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ताराचन्द गोठवाल

प्रकरण संख्याः-- 431 / 2014

सरकार   **बनाम**   श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उचित मूल्य दुकानदार

ग्राम पंचायत कंचनपुर तह. श्रीमाधोपुर

जिला सीकर

अनियमितता अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण विनिमय आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कन्ट्रोल) आदेश 2001

प्रमाणित प्रतिलिपि

निर्णय

दिनांकः— 19.06.2014

जिला रसद अधिकारी सीकर

1. यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर तथा प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर द्वारा शिकायत के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत कंचनपुर की जांच से संबंधित है। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर द्वारा अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2014 प्रस्तुत होने पर निरीक्षण के दौरान निम्न अनियमिततायें पाई गई हैः—

अ. यह है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार मौके पर अनुपस्थित था मौके पर उसका पुत्र पंकज शर्मा मिला।

ब. यह है कि उचित मूल्य दुकान पर मूल्य सूची बोर्ड पर स्टॉक व राशन सामग्री का प्रदर्शन नही किया हुआ था।

स. यह है कि मौके पर रिकॉर्ड मांगने पर उपलब्ध नही करवाया।

द. यह है कि मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर 51 ली. केरोसीन तेल तथा 65 किलो गेहूँ कम पाया गया।

य. यह है कि मौके पर शिकायतकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये राशनकार्डो का रिकॉर्ड से मिलान करने पर छः माह रिकॉर्ड डीलर से चाहा गया था जो उपलब्ध नही करवाया गया।

2. यह है कि अप्रार्थी के यहां उक्त अनियमितता पायी जाने पर अप्रार्थी का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा कार्यालय आदेश के कमांक 2966—70 दिनांक 20.3.2014 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...है कि संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती सुनीता शर्मा द्वारा उक्त डीलर के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट 232/13.06.2014 थाना श्रीमाधोपुर भी दर्ज कराई गई जो लम्बित है।

4. यह है कि अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर उक्त अनियमितता पाई जाने पर जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा अप्रार्थी को आदेश कमांक 560/16.06.2014 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा दिनांक 19.06.2014 को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु आदेशित किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2014 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

5. यह है कि मैने प्रकरण की पत्रावली एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजो का भली–भांति अवलोकन किया एवं अप्रार्थी के जवाब का भी अवलोकन किया जो असंतोषजनक पाये जाने पर तथा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच व पत्रावली पर आये साक्ष्य से यह साबित होता है कि अप्रार्थी द्वारा अनुचित रूप से कियाकलाप तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र/प्राधिकार पत्र की शर्तो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल) आदेश 2001 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है।

आदेश

अतः अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उचित मूल्य दुकानदार कंचनपुर तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश (वस्तु का विनिमयन आदेश)1976 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र/प्राधिकार पत्र की शर्तो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल) आदेश 2001 के तहत दोषी पाये जाने पर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है एवं उनकी प्रतिभूति राशि 1000/– (अक्षरे रूप्ये एक हजार मात्र) बहक राज्य सरकार जब्त की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय से सूचित किया जावे प्रकरण फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2014 को दिया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.6.14

(टी. सी. गोठवाल)
जिला रसद अधिकारी
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि

जिला रसद अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official